[2023] 11 एस. सी. आर 484: 2023 आई. एन. एस. सी 771

मुकदमों का विवरण

राजो उर्फ राजवा उर्फ राजेंद्र मंडल

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

वर्ष 2023 का रिट-याचिका संख्या 252 25 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भट और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचारणीय मुद्दा: आई .पी.सी., 1860 की धारा 302/34 आरैर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता ने इस आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए निर्देश मागा कि वह बिना छुट या पआल दिए 24 साल से हिरासत मे है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - छूट - अनुदान:

माना कि: रिमिशन बोर्ड ने समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को दो बार खारिज कर दिया-याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कारण पहले दौर में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल रिपोर्ट थी, जिस पर पूर्ण रूप से भरोसा किया गया था और दूसरे दौर में भी तत्कालीन पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दोहराया गया था-पीठासीन न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट (प्रासंगिक समय पर), एक अनौपचारिक राय प्रदर्शित करती हैं, जो केवल न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख पर आधारित होती है, जिसमें संभवतः

निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपराध की पुष्टि शामिल होती है-पीठासीन न्यायाधीश की राय पर अत्यधिक जोर देना और अन्य अधिकारियों की टिप्पणियों की पूर्ण अवहेलना, अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, एक छूट आवेदन पर उचित सरकार के निर्णय को अस्थिर बना देगी। *लक्ष्मण नस्कर* मामले में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए-रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही पर्याप्त कारावास की लंबी अवधि और उसकी उम्र को देखते हुए, माफी बोर्ड को इस फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय देना चाहिए। [पैरा 14-17,25]

सजा-न्यायिक अभ्यास बनाम कार्यकारी कार्य-सांविधिक और संवैधानिक शक्तियाँ - धारा 432 सी. आर. पी. सी.; अनुच्छेद 72,161, भारत का संविधानः

माना गया: सजा देना शक्ति का एक न्यायिक प्रयोग है-इसके बाद दिए गए दंडादेश को निष्पादित करने का कार्य, हालांकि, एक विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य है जिसमें माफी, परिवर्तन, क्षमा, विलंब या सजा का निलंबन शामिल है-यह कार्यकारी शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में पाई जा सकती है-जबकि वैधानिक (यू/एस. सी. आर. पी. सी.) और संवैधानिक (संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत) शक्तियां अलग हैं-पूर्व सीमित शक्ति, अभी भी बाद की (बहुत व्यापक शक्ति) की छाप है, और इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए और इस संदर्भ में रखा जाना चाहिए-इस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष, यथोचित, और मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए-ऐसा न करने पर, न्यायालय को अपनी न्यायिक समीक्षा करने और उचित मामलो में मामालो को पुनविर्चार के लिए भेजने के लिए बाध्य होना पडेगा धारा 432 (2) में निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य माना गया है। [पैरा 9 और 10]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-छूट विचार किए जाने वाले मानदंड चर्चा की गई [पैरा 11]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-छूट-पीठासीन न्यायाधीश के दृष्टिकोण की भूमिका-संलग्न किया जाने वाला महत्वः

माना कि: इस विवेकाधिकार के साथ कि कार्यपालिका को किसी सजा को निष्पादित करने का अधिकार है, इसकी सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि पीठासीन न्यायाधीश का दृष्टिकोण-जो कि न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख के आधार पर बड़े पैमाने पर (यदि पूरी तरह से नहीं) बनाया गया है-का यांत्रिक रूप से संबंधित प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाता है-इस तरह के दृष्टिकोण में दिल पर प्रहार करने और माफी की अवधारणा को नष्ट करने की क्षमता है-एक आधुनिक कानूनी प्रणाली में सुधार की दिशा में तैयार किए गए कार्यों और व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में-यदि पीठासीन न्यायाधीश की रिपोर्ट केवल उन तथ्यों और परिस्थितियों का प्रतिबिंब है जो दोषी के अपराध के निष्कर्ष की ओर ले गए थे, और यह केवल सजा सुनाते समय न्यायाधीश के पास उपलब्ध उन परिस्थितियो की पुनरावृत्ति मात्र है (लगभग 14 या अधिक वर्ष पहले, जैसा भी मामला हो) तो उपयुक्त सरकार को तदनुसार इस निष्कर्ष को महत्व देना चाहिए ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा नही की जा सकती जो अधिपत्य की ओर जाए, यदि वह अपराध पर केंद्रित है, तथा अपरधी पर कम या बिल्कुल ध्यान नही देता है, तो इसे प्रमुखता दी जाती है। [पैरा 16 और 17]

सजा-जघन्य अपराधः

माना कि: सजा सुनाने के चरण में भी, न्यायाधीश को आदर्श रूप से अपराधी से संबंधित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने के बाद विवेक का प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल अपराध; लेकिन जैसा कि कई उदाहरणों में देखा गया है जो जघन्य अपराधों के अपराध में सजा से संबंधित हैं, यह दुर्भाग्य से, अक्सर वास्तविकता नहीं है-हाल के वर्षों में इसे कैसे कम किया जाए, इस पर इस अदालत द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन यह स्वीकार करना

व्यावहारिक है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को शामिल करने और समान रूप से ऐसे मानकों तक पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता होगी।

सजा-कारावास-उद्देश्य और लक्ष्य-चर्चा। [पैरा 19]

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-माफी-दूसरे दौर में एस.पी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रतिकूल थी-उपयुक्त सरकार का कर्तव्यः

माना कि: पुलिस अधीक्षक द्वारा दूसरे दौर में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (जो पहले दौर में प्रस्तुत की गई थी, उससे पूरी तरह से अलग थी) प्रतिकूल थी-प्रत्येक मामले में, उपयुक्त सरकार को अपराध के गुप्त (हमेशा नहीं) पूर्वाग्रहों का संज्ञान लेना चाहिए, कि पुलिस के साथ-साथ जांच एजेंसी, विशेष रूप से वर्तमान जैसे मामले में, जहां मारे गए पीड़ित स्वयं पुलिस कर्मी थे, यानी पुलिस बल के सदस्य-ये पूर्वाग्रह रिपोर्ट को सूचित कर सकते हैं, और इन्हें निर्धारक मूल्य नहीं दिया जा सकता है-अन्य विचारों के अलावा (अपराध की प्रकृति पर, क्या यह बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है, इसकी पुनरावृत्ति की संभावना, आदि), उपयुक्त सरकार को भविष्य में अपराध करने के लिए दोषी की क्षमता पर विचार करते हुए, क्या निरंतर कारावास का कोई सार्थक उद्देश्य बचा है, और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करनी चाहिएः दोषी की आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक संबंध और पुनर्एकीकरण की संभावना, अर्जित छूट की सीमा, और दोषसिद्धि के बाद के आचरण सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं है कि क्या दोषी ने हिरासत में रहते हुए कोई शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, स्वयंसेवी सेवाएँ, नौकरी/काम किया गया है, जेल आचरण, चाहे वे किसी सामाजिक उद्देश्य या उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे, और एक इंसान के रूप में समग्र विकास-बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि उपयुक्त सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने वाले दोषी से

बातचीत/साक्षात्कार के बाद एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा समकालीन रूप से तैयार की गई रिपोर्ट का लाभ मिलता है, तो यह न्याय के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा। [पैरा 20 और 21]

आपराधिक न्याय का प्रशासन-सजा-सामाजिक हितों को दोषी के अधिकारों के साथ संतुलित करनाः

माना कि: श्रीहरण में बहुमत के दृष्टिकोण और अल्पमत के दृष्टिकोण ने दोषी के अधिकारों के साथ सामाजिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया (कि किसी मामले में सजा अत्यधिक कठोर या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए)-अदालत ने स्वीकार किया कि समय से पहले रिहाई देना या इनकार करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है; हालाँकि, ऐसी शक्ति निर्देशित की जाएगी, और विवेक को उचित नियमों से प्रेरित किया जाएगा। [पैरा 22]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-छूट-दोषसिद्धि की तारीख और समयपूर्व रिहाई के लिए विचार की तारीख पर अलग-अलग नीतियांः

माना कि: इस न्यायालय ने दोषी की सजा के विभिन्न बिन्दओ पर प्रचलित विभिन्न छुट नीतियो/ नियमों की स्थिति से जुझते हुए कहा अर्थात जब दोषसिद्धि की तिथि और समयपूर्व रिहाई के लिए विचार की तिथि पर नीति भिन्न होती हैः- यह माना गया है कि दोषसिद्धि की तिथि पर प्रचलित नीति 20 लागू होगी हालांकि, जगदीश मे यह भी माना गया कि यदि विचार की तिथि पर अधिक उदार नीति मौजुद है, तो लाभ प्रदान किया जाना चाहिए वर्तमान मामले में दोषसिद्धि की तिथि (24.05.2001) को, यह 2002 से पहले की नीति है जो लागू थी पुरानी 2002 से पहले की नीति मे किसी भी आयोग्यता मानदंड का उल्लेख नही है, बहुत कम ही ऐसा है जो 2002 की नीति के नियम 529 (iv)(b) के अनुरुप है जिसका हवाला

छुट बोर्ड मे 20.04.2023 को याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करते हुए दिया था [पारा 23 और 24]

<u>उद्घरणो और अन्य संदर्भों की सूची</u>

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण [2015] 14 एस. सी. आर. 613-इसके बाद आया/अनुकरण किया गया।

हरियाणा राज्य बनाम जगदीश [2010] 3 एस. सी. आर. 716; लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य डब्ल्यू. बी (2000) 2 एस. सी. सी. 595: [2000] 1 एस. सी. आर. 796-निर्भर पर भरोसा किया गया। संगीत बनाम हरियाणा राज्य [2012] 13 एस. सी. आर. 85; गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 440; मारू राम बनाम भारत संघ [1981] 1 एस. सी. आर. 1196; शरत चंद्र राभा बनाम खगेन्द्रनाथ नाथ [1961] 2 एस. सी. आर. 133; केहर सिंह बनाम भारत संघ [1988] पूरक. 3 एससीआर 1102; हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह [2000] 1 एससीआर 698; संगीत बनाम हरियाणा राज्य [2012] 13 एससीआर 85; राजन बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग [2019] 6 एससीआर 1035; राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2022] 4 एससीआर 1103; भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण [2015] 14 एससीआर 613; लक्ष्मण नस्कर बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 626: [2000]3 पूरक एस.सी.आर. 62: जसवंत सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 35; स्वामी श्रद्धानंद (2)@ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य [2008] 11 एस. सी. आर. 93; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2009] 9 एस. सी. आर. 90; छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2018] 14 एस. सी. आर. 355; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य [2018] 14 एस. सी. आर. 585; और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2022] 9 एस. सी. आर. 452; मारू राम बनाम भारत संघ [1981] 1

एस. सी. आर. 1196; हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार, (2021) 9 एस. सी. सी. 292-संदर्भित किया गया।

<u>अन्य मामलों के विवरणों में आक्षेपित आदेश और आवेदन शामिल हैं</u>

आपराधिक मूल न्यायाधिकारः 2023 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 252।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

उपस्थिति:

रणधीर कुमार ओझा, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

अज़मत हयात अमानुल्लाह, टी. जी. शाही, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

<u>सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश</u>

<u>निर्णय</u>

एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र के तहत इस न्यायालय से संपर्क करता है, ताकि प्रथम प्रतिवादी का समय से पहले रिहा करने के लिए उचित निर्देश दिया जा सके, इस आधार पर कि वह बिना छुट या पैटोल के 24 वर्षो से हिरासत में है।

2. याचिकाकर्ता (उस समय 40 वर्ष की आयु), तीन अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ, तीन व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था-जिनमें दो पुलिस कर्मी (*दफादार*) थे और तीसरा चौकीदार था, जो सभी गाँव के मेले के दौरान ड्यूटी पर थे-अंधाधुंध फाई रिंग

द्वारा, जब वे भोजन परोसे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। याचिकाकर्ता पर उन लोगों में से एक होने का आरोप लगाया गया था जिन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से मृतक पीड़ितों पर गोली चलाई थी। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता और तीन अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। एक सह-अभियुक्त (बौधा मंडल), जो पीड़ितों पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति था, पुलिस मुठभेड़ में जांच/मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मारा गया था। याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा (तीन अन्य सह-अभियुक्त दोषियों के साथ), उच्च न्यायालय द्वारा 01.09.2005 को दायर की गई थी। साधनों और जागरूकता की कमी के कारण, याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए इस अदालत से संपर्क नहीं कर सका, और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि को वास्तविकता प्राप्त हुई।

3. इस अदालत के एक आदेश के अनुसार, नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी-राज्य ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें उसकी सजा की अवधि की गणना, छूट के लिए उसकी याचिका की स्थिति के साथ-साथ राज्य सरकार की माफी नीतियों (समय-समय पर संशोधित) का संकेत दिया गया है। यह हलफनामा बताता है कि याचिकाकर्ता ने लंबे समय तक 14 साल का वास्तविक कारावास (19.07.2013 को) पूरा किया है, और वास्तव में, 26.07.2023 को, 24 साल से अधिक का वास्तविक कारावास पूरा किया है। अर्जित माफी (4 साल और 8 महीने से अधिक की माफी, यानी कुल 1694 दिन) के लिए लेखांकन करते हुए, उन्होंने 28 साल, 8 महीने और 21 दिन की सेवा की है। यह उल्लेख करना उचित है कि उन्होंने 19.07.2019 पर वास्तविक कारावास के 20 साल पूरे किए, और यदि प्रचलित नियमों के अनुसार अर्जित छूट के साथ गणना की जाती है, तो 05.11.2014 पर ही।

4. अनिवार्य 14 साल के वास्तविक कारावास और छूट के साथ 20 साल की हिरासत के पूरा होने के बाद, याचिकाकर्ता के मामले (आवेदन दिनांक 14.04.2021) को माफी बोर्ड द्वारा 19.05.2021 को विचार किया गया था। निर्धारित नियमों के अनुसार, इस बैठक से पहले, दोषसिद्धि अदालत के पीठासीन अधिकारी, परिवीक्षा/पीठासीन अधिकारी की राय और पुलिस अधीक्षक से भी विचार मांगी गई थी। बोर्ड ने पीठासीन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रतिकुल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अनुकूल रिपोर्ट के बावजूद याचिकाकर्ता के समयपूर्व रिहाई के आवेदन को खारिज कर दिया।

5. इस अस्वीकृति के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के समान राहत की मांग की गई थी। हालाँकि इसे गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। बाद में, प्रचलित नियम के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को फिर से रिमिशन बोर्ड के समक्ष उसकी दिनांक 20.04.2023 की बैठक में रखा गया। इस बार, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया और सजादेने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी से प्राप्त प्रतिकूल/नकारात्मक राय के मद्देनजर और बिहार जेल नियमावली में निहित माफी/छुट (दिनांक 10.12.2002 की अधिसूचना द्वारा संशोधित और 28.12.2002 को अधिसूचित) नीति के नियम 529 (iv) (बी) को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। प्रासंगिक नियम नीचे उदधृत किया गया हैः

"(iv) समय से पहले रिहाई के लिए अयोग्यता

आजीवन कारावास से गुजरने वाले दोषी कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी को समय से पहले रिहाई के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है।

क) बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराध आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदी।

ख) ऐसे कैदी जिन्हें पूर्व नियोजित तरीके से और संगठित तरीके से संगठित हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है।

ग) पेशेवर हत्याएँ जिन्हें काम पर रखकर हत्या का दोषी पाया गया है। ।

घ) दोषी कैदी, जो तस्करी अभियानों में शामिल होते हुए हत्या करते हैं या जो कर्तव्य पर तैनात लोक सेवकों की हत्या के दोषी हैं।

(जोर दिया गया)

6. ये तथ्य हैं, जो वर्तमान रिट याचिका की ओर ले जाते हैं।

विश्लेषण और निष्कर्ष

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 432 (1) उपयुक्त सरकार को सजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार देती है और यह केवल *अतिरिक्त* छूट के मामले में लागू होती है, जो जेल नियमावली या वैधानिक नियमों के अनुसार अर्जित की जाती है। धारा 432 (2) विहित करती है प्रक्रिया जिसके द्वारा उपयुक्त सरकार तर्क के साथ न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की राय ले सकती है, या जिसके द्वारा आवेदक को दोषी ठहराया गया था, इस पर कि क्या आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) तत्काल संदर्भ के लिए निकाली गई हैः

"432. सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति। –(1)***

(2) जब भी किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए उपयुक्त सरकार को कोई आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से इस बारे में अपनी राय देने के लिए कह सकती है कि क्या आवेदन को उसकी राय के कारणों के साथ दिया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और ऐसी राय के बयान के साथ मुकदमे के रिकॉर्ड या उसके ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रति जो मौजूद है।"

8. छूट देने की यह वैधानिक शक्ति धारा 433ए (जिसे बाद में सीआरपीसी में में शामिल किया गया था) द्वारा सीमित है जब यह उन लोगों के लिए आता है जिन्हें एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जहां मृत्यु दंडों में से एक हैः

"433-A. में छूट या परिवर्तन की शक्तियों पर प्रतिबंध कुछ मामले। – *धारा 432 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मृत्यु कानून द्वारा प्रदान किए गए दंडों में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल का कारावास नहीं बिताया हो।"*

9. सजा देना शक्तियों का *न्यायिक* प्रयोग है। हालाँकि, दी गई सजा को *निष्पादित* करने के बाद का कार्य विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है-जिसमें माफी, परिवर्तन, क्षमा, राहत या सजा का निलंबन शामिल है। इस कार्यकारी शक्ति का पता भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 से लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को क्रमशः माफी देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का

अधिकार है। जबकि वैधानिक (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत) और संवैधानिक (संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत) शक्तियां अलग-अलग हैं-पूर्व सीमित शक्ति, अभी भी बाद की (बहुत व्यापक शक्ति) की एक छाप है, और इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए और इस संदर्भ में रखा जाना चाहिए। हरियाणा राज्य बनाम जगदीश के निर्णय में कार्यकारी शक्ति की इस रूपरेखा और इसका उपयोग कैसे किया जाना है, इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है।

"27. फिर भी हम यह इंगित कर सकते हैं कि माफी देने की संप्रभु की शक्ति उसके अनन्य अधिकार क्षेत्र में है और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के प्रावधानों को शामिल किया। यह जिम्मेदारी कार्यपालिका को एक संवैधानिक जनादेश के माध्यम से दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित मामलों में छूट प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इस शक्ति का उद्देश्य कभी भी कार्यपालिका द्वारा एक बेलगाम शक्ति के रूप में उपयोग या उपयोग करना नहीं था। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और उचित मामलों में किया जाना चाहिए, जो प्रभावी रूप से दी गई सजा को कम करता है और जो किसी भी तरह से दोषसिद्धि को समाप्त नहीं करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग संप्रभु अपने स्वयं के न्यायिक जनादेश के खिलाफ करता है। राज्य की माफी का कार्य न्यायिक रूप से किए गए कार्यों को पूर्ववत नहीं करता है। फैसले के माध्यम से दी गई सजा को खारिज नहीं किया जाता है, लेकिन दोषी को राज्य माफी की उदार नीति का लाभ मिलता है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत ऐसी शक्ति के प्रयोग का वैधानिक प्रावधानों में एक अलग प्रभाव हो सकता है,

क्योंकि अल्प-सजा नीति कारावास की अवधि में केवल कमी लाती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का कार्य सजा को ही कम कर देता है।"

10. यह कि इस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग, जो स्वाभाविक रूप से विवेकाधीन प्रकृति की है, निष्पक्ष रूप से, यथोचित रूप से और मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में माना गया है। कि ऐसा करने के लिए अनुपस्थिति, की तरह अन्य कार्यकारी कार्रवाई के लिए मामला-अदालत को अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने के लिए मजबूर करें, और उपयुक्त मामलों में मामले को पुनर्विचार के लिए भेजें। धारा 432 (2) में निर्धारित प्रक्रिया को भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण में इस न्यायालय की एक निर्णायक पीठ द्वारा अनिवार्य माना गया है। अदालत ने यह भी देखा कि कैसे उक्त प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा के रूप में काम करती हैः

"141. [...] इसलिए, जब संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत समान प्रकार की बड़ी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के दौरान इस न्यायालय द्वारा बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग करने की राय दी गई है, तो एक क़ानून के तहत प्रयोग करने योग्य धारा 432 (1) सीआरपीसी के तहत, जो डिग्री में कम है, उसे उसी धारा में निहित सहायक प्रावधान के अनुरूप प्रयोग करने योग्य माना जाना चाहिए। इस संबंध में, हम यह मानते हैं कि जब भी छूट के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत प्रदान की गई सुरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत अंतिम शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।

142. धारा 432 (2) के तहत निर्धारित उक्त प्रक्रिया का पालन करने से, उपयुक्त सरकार की कार्रवाई बनी रहेगी और न्यायिक मंच सहित सभी संबंधितों की

जांच के दायरे में आएगी। यह याद रखना चाहिए कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, लुटपाट, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों को छोड़कर, निचली अदालत के फैसले पर हमेशा उच्च न्यायालय और कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली राय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किए गए अपराध की प्रकृति, स्वयं दोषी के रिकॉर्ड/अभिलेख पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर बहुत प्रकाश डाला जाएगा जो उपयुक्त सरकार को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा कि सजा का निलंबन या माफी दी जानी चाहिए या नहीं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 72 और 161 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के लिए, कार्यकारी प्रमुख को मंत्रिपरिषद के कार्य और सलाह का लाभ होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त सरकार न्यायिक मंच की मूल्यवान राय प्राप्त करेगी, जो निलंबन या छूट देने से संबंधित मुद्दे पर निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रकाश डालेगी।"

इसके बाद अदालत ने इस मुद्दे पर संगीत बनाम हरियाणा राज्य 11 (संगीत एससीआर पीपी. 119-120) में निम्नलिखित तर्क को मंजूरी दीः

"63. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 की उप-धारा (1) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग इस सरल कारण से स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता है कि यह उप-धारा केवल एक सक्षम प्रावधान है। उपयुक्त सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन न्यायिक रूप से सुनाई गई सजा को "ओवरराइड" करने में सक्षम है। वे शर्तें या तो जेल नियमावली में या वैधानिक नियमों में पाई जाती हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 432 की उप-धारा (1) को उचित सरकार को जेल नियमावली या सांविधिक नियमों द्वारा अनुमत न्यायिक निर्णय को "आगे बढ़ाने" में

सक्षम बनाने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। इस धारा के तहत "अतिरिक्त" छूट देने की प्रक्रिया किसी मामले में केवल दोषी द्वारा या उसकी ओर से माफी के लिए आवेदन के माध्यम से शुरू की जाती है। ऐसा आवेदन किए जाने पर, उपयुक्त सरकार से न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिससे पहले या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या (कारणों के साथ) यह स्वीकार करने के लिए कि आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद, उपयुक्त सरकार छूट आवेदन पर निर्णय ले सकती है और कुछ शर्तों के अधीन छूट देने वाले आदेश पारित कर सकती है, या छूट से इनकार कर सकती है। अन्य किसी भी चीज़ के अलावा, यह वैधानिक प्रक्रिया काफी उचित प्रतीत होती है क्योंकि छूट देने के मुद्दे पर विवेक का उपयोग होता है। अन्य किसी भी चीज़ के अलावा, यह वैधानिक प्रक्रिया काफी उचित प्रतीत होती है क्योंकि छूट देने के मुद्दे पर विवेक का उपयोग होता है। "

(जोर दिया गया)

11. इस न्यायालय ने, विभिन्न निर्णयों में, छूट देने पर विचार करते समय विचार किए जाने वाले मापदंडों को रेखांकित किया है। जगदीश (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"38. आजीवन कारावास के दोषी की समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करते समय, अधिकारियों को मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके मामले पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या अपराध समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य था; क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना थी; क्या दोषी ने अपराध करने में अपनी क्षमता खो दी

थी; क्या दोषी को और अधिक विश्वास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य था; दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और इसी तरह की अन्य परिस्थितियाँ।"

(जोर दिया गया)

यह पहले के एक फैसले पर आधारित था (हलाकि *जगदीश* के मामले में स्पष्ट रूप से उद्धृत नहीं किया गया था) *लक्ष्मण नास्कर बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य* जिसने पाँच मार्गदर्शन कारक निर्धारित किया।

12. *श्रीहरण* (उपरोक्त) में, अदालत ने पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की भूमिका पर विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि "निलंबन या छूट का अंतिम आदेश संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली राय से निर्देशित होना चाहिए। " इस बारी में, जिस पर भरोसा किया गया था, और हाल ही में राम चंदर बनाम छतीसगढ राज्य में समझाया गया था, जो इस प्रकार हैः

"20. श्रीहरण में [भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण, (2016) 7 एससीसी 1: (2016) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 695], न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय अपराध की प्रकृति, दोषी के रिकॉर्ड,/अभिलेख उनकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रकाश डालती है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार को "सही" निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी कि सजा को माफ किया जाना चाहिए या नहीं। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक, जिसका छूट के लिए आवेदन पर कोई निर्धारक प्रभाव नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा छूट के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सकता

है। तब यह संभव है कि धारा 432 (2) के तहत प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बन जाएगी।"

21. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए। यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ [लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ, (2000) 2 एस. सी. सी. 595 में निर्धारित माफी देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता हैः 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 509], सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।

22. वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ [लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ, (2000) 2 एस. सी. सी. 595 में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखा हैः 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 509] इन कारकों में मूल्यांकन शामिल हैः

(i) क्या अपराध व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता है;

(ii) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना;

(iii) दोषी की भविष्य में अपराध करने की क्षमता;

(iv) यदि दोषी को जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा हो रहा है; और

(v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

लक्ष्मण नस्कर बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [लक्ष्मण नस्कर बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी., (2000) 7 एस. सी. सी. 626:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1431] और

हरियाणा राज्य बनाम जगदीश (हरियाणा राज्य बनाम जगदीश, (2010) 4 एस. सी. सी. 216:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 806], इस न्यायालय ने दोहराया है कि समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी के आवेदन पर निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाएगा।

23. विशेष न्यायाधीश दुर्ग ने अपनी राय में उस अपराध का उल्लेख किया जिसके लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और केवल यह कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माफी देना उचित नहीं होगा। राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के प्रावधानों के आधार पर है जिसमें यह आवश्यक है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय कारणों के साथ होनी चाहिए। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) में कहा गया है कि यदि संबंधित प्राधिकारी ने प्रासंगिक कारण प्रदान किए हैं तो कारण देने की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। यांत्रिक कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। निम्नलिखित उद्धरण हमारे विचार के लिए उपयोगी हैः

> ***"[005.066] कारणों की पर्याप्तता कारणों की पर्याप्तता, एक में*** *विशेष मामला, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अदालत की तरह निर्णय लिखे। हालांकि, कम से कम, तर्क की प्रक्रिया की एक रूपरेखा दी जानी चाहिए। यदि आदेश के लिए प्रासंगिक कारण दिए गए हैं तो यह कारण देने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, हालांकि प्राधिकरण ने सभी कारणों को निर्धारित नहीं किया है या कुछ कारणों पर जो अदालत के समक्ष तर्क दिए गए थे, प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। आदेश में वैधानिक भाषा की केवल पुनरावृत्ति आदेश को तर्कपूर्ण नहीं बनाएगी।*

यांत्रिक और रूढ़िवादी कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। बोलने का आदेश वह होता है जो आदेश पारित करने वाले न्यायनिर्णायक निकाय के दिमाग की बात करता है। 'वर्ष 1982 की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई' जैसे कारण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि बयान में बताया गया है कि परीक्षा क्यों रद्द की गई है; यह केवल कारण बताए बिना सजा का उल्लेख करता है।" [हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) (लेक्सिस नेक्सिस, ऑनलाइन संस्करण)]

24. इस प्रकार, अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा, यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए धारा 432 (2) के तहत अभ्यास किया जाना है, जो कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।"

13. यह देखते हुए कि पीठासीन न्यायाधीश की राय ने लक्ष्मण नस्कर (उपरोक्त) में निर्धारित निश्चित मानदंडों पर विचार नहीं किया, राम चंदर (उपरोक्त) मामले में इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने संबंधित अदालत के पीठासीन अधिकारी को मामले पर नए सिरे से और इन कारकों के आलोक में विचार करने का निर्देश दिया, ताकि उपयुक्त सरकार समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार कर सके। जसवंत सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 15 (जिसमें दोनों रिट याचिकाएं एक ही तथ्यों और अपराध के कारण उत्पन्न हुईं) में रिट याचिकाकर्ता के लिए एक समान भाग्य का इंतजार था।

14. वर्तमान मामले में, माफी बोर्ड ने समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को दो बार खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने वाली अपनी दो बैठकों में से प्रत्येक से पहले अधिकारियों द्वारा माफी बोर्ड को प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त नज़र डालने से पता चलता हैः

तारीख 19.05.2021 की माफी बोर्ड की बैठक में विचार किया गया	**तारीख 20.04.2023 की माफी बोर्ड की बैठक में विचार किया गया**
जेल अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 27.04.2021: *"कैदी का आचरण संतोषजनक है। जेल से समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई।"*	**जेंल अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 18.09.22 को आई एल एस ऊपर ई आर एन टी डी आर टी डी हैः** *"समय से पहले रिलीज के लिए अनुशंसित।"*
प्रोबेट आयन अधिकारी का प्रतिनिधि दिनांक 05.04.2021: *"नियमों के अनुसार कैदी को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जा सकता है"*	**परिवीक्षा अधिकारी का रिपोर्ट दिनांकित 08.06.2022** *"दोषियों के लिए आवासीय संसाधनों और आजीविका के साधनों, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, परिवार और समाज के लोगों की अनापत्ति और स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, पुनर्वास की आवश्यकता और एक सामान्य नागरिक के रूप में रहने की संभावना*

	को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दोषी कैदी की समय पर रिहाई के संबंध में एक स्पष्ट सिफारिश की जाती है। "
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 11.01.2021: *"...डी. पी. ओ. ने बताया है कि कैदी की रिहाई पर, ऐसा नहीं लगता है कानून-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना है"*	**पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 22.07.2022:** संबंधित डी. पी. ओ. से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए- *"स्थानीय लोगों को जानकारी मिल गई है। उनकी समय से पहले रिहाई के बारे में जानकारी। स्थानीय लोग चौराहों पर उनकी समय से पहले रिहाई के कारण उनकी रिहाई के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बोलते हैं, समाज में अशांति और भय का माहौल पैदा होगा और आपराधिक घटनाओं से एन. सी. आर. (सन्हा) संख्या 211 भी बढ़ सकती है। इस संदर्भ में, उक्त कैदी की समय से पहले रिहाई उचित नहीं लगती है।*
पीठासीन न्यायाधीश की टिप्पणी दिनांक	**पीठासीन न्यायाधीश की टिप्पणी दिनांक**

15.12.2018: *"...उपरोक्त उल्लेखनीय सत्रों के मामले का पूरक मामला रिकॉर्ड, जिसमें से यह प्रतीत होता है कि यह एक तीन हत्याओं का मामला है जिसमें दो दफादारों को एक सुनियोजित कदम के तहत और सुनियोजित तरीके से मार दिया गया था और दफादार और चौकीदार दोनों कर्तव्य में ईमानदार थे और अपने काम के प्रति समर्पित थे और वे संयुक्त रूप से कर्तव्य से चले जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी लगातार भय मनोविकृति में थे और दोषियों सहित अपराधियों ने इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। घटना के तरीके और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में दोषी याचिकाकर्ता की ओर से दायर आवेदन माफी और सजा को कम करने से इनकार कर दिया जाना चाहिए।"*	**02.07.2022:** तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा 15.12.2018 पर पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। *"....केस रिकॉर्ड को देखने के बाद, मुझे यह भी पता चला कि मंडल द्वारा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति के साथ कथित अपराध की घटना का तरीका इस तरह के तथ्यों और परिस्थितियों में इतना कठोर और पेशेवर था, मैं इस अदालत के तत्कालीन पी. ओ. की राय से भी सहमत था। इसलिए राजो उर्फ राजवा उर्फ राजेंद्र मंडल मंडल के पक्ष में सजा को कम करने और कम करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा सकता है।"*
	जाँच समिति/महानिरीक्षकः पुलिस अधीक्षक और पीठासीन न्यायाधीश की प्रतिकूल रिपोर्टों पर ध्यान दिया और नोट किया कि

	"2. विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 2.20 02 में खंड (4) (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि जो कैदी व्यवस्थित तरीके से हत्याओं का आयोजन करने के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, वे समय से पहले रिहाई के पात्र नहीं होंगे। 3. इस दृष्टि से जेल से असामयिक रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।"

उस समय अपने समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए, माफी बोर्ड ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

रिमिशन बोर्ड की बैठक दिनांक 19.05.2021	**रिमिशन बोर्ड की बैठक दिनांक 20.04.2023**
"परिवीक्षा अधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुकूल रिपोर्ट, लेकिन पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट"	पुलिस अधीक्षक, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल रिपोर्टों और खंड (iv) (b)- के संबंध में जाँच समिति/महानिरीक्षक के निष्कर्ष पर ध्यान देना। *"3 उचित विचार के बाद, जेल से समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है।"*

15. अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कारण, प्रथम दौर में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल रिपोर्ट है, जिस पर दूसरे दौर में भी तत्कालीन पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पूर्ण रूप से भरोसा किया गया था और दोहराया गया था। पीठासीन न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट (प्रासंगिक समय पर), एक अनौपचारिक राय प्रदर्शित करती हैं, जो पूरी तरह से न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख पर आधारित होती है, जिसमें संभवतः निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपराध की पुष्टि शामिल होती है। यह केवल याचिकाकर्ता के बारे में एक दिनांकित अंतर्दृष्टि है, जिसके पास दोषी द्वारा अपनी सजा काटने के दौरान की गई प्रगति पर विचार करने का सीमित अवसर है। फिर भी, माफी बोर्ड ने अन्य अधिकारियों की तुलना में पीठासीन न्यायाधीश की राय को विशेषाधिकार दिया है-जैसे परिवीक्षा अधिकारी, और जेल अधिकारी, जो उनके दोषसिद्धि के बाद के सुधार पर टिप्पणी करने के लिए कहीं बेहतर स्थिति में हैं-एक चेतावनी देने वाली कहानी।

16. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पीठासीन न्यायाधीश की राय पर अत्यधिक जोर देना और अन्य अधिकारियों की टिप्पणियों की पूरी तरह से अवहेलना, अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय, एक छूट आवेदन पर उपयुक्त सरकार के निर्णय को अस्थिर बना देगा। कार्यपालिका को किसी सजा को निष्पादित करने में जिस विवेकाधिकार का अधिकार है, उसकी सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि पीठासीन न्यायाधीश का दृष्टिकोण-जो पूरी संभावना में न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख के आधार पर बनाया गया है, मुख्य रूप से (यदि पूरी तरह से नहीं) संबंधित प्राधिकारी द्वारा यांत्रिक रूप से पालन किया जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण में दिल पर प्रहार करने और छूट की अवधारणा को नष्ट करने की क्षमता है-एक इनाम के रूप में और सुधार की दिशा में प्रोत्साहित करने वाले कार्य और व्यवहार - आधुनिक कानूनी प्रणाली में।

17. यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश का दृष्टिकोण केवल उन कारकों में से एक है जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है; बल्कि इसके बजाय कि यदि पीठासीन न्यायाधीश की रिपोर्ट केवल उन तथ्यों और परिस्थितियों का प्रतिबिंब है जिनके कारण दोषी के अपराध का निष्कर्ष निकला, और केवल सजा सुनाने के समय न्यायाधीश के लिए उपलब्ध उन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति है (कुछ 14 या अधिक साल पहले, जैसा भी मामला हो), तो उपयुक्त सरकार को तदनुसार इस निर्णय को महत्व देना चाहिए। यदि ऐसी रिपोर्ट अपराध पर केंद्रित है, जिसमें अपराधी पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस पर प्रबलता रखने के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त सरकार को, माफी के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के न्यायिक दृष्टिकोण सहित प्राप्त सभी विचारों (प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में) का समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

18. पीठासीन न्यायाधीश के विचार, उस अभिलेख पर आधारित होते हैं, जो मौजूद होता है, जिसमें अपराध की प्रकृति, इसकी गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और उनके पूर्ववृत्त के संबंध में उस स्तर पर उपलब्ध सामग्री सहित दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप सभी तथ्य होते हैं। हालाँकि, दोषसिद्धि के बाद का आचरण, विशेष रूप से, जिसके परिणामस्वरूप कैदी की अर्जित छूट, उनकी उम्र और स्वास्थ्य, किया गया काम, वास्तविक कारावास की अवधि आदि शायद ही कभी उक्त न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ध्यान में रखने वाली एक अन्य बात यह है कि पीठासीन न्यायाधीश वही पीठासीन न्यायाधीश नहीं होगा जिसके पास दोषी का निरीक्षण करने का अवसर था (बहुत पहले के समय पर) और इस प्रकार एक राय बनाते हैं। पीठासीन न्यायाधीश, इस स्तर पर, केवल उस अभिलेख को देखेंगे जिससे दोषसिद्धि होती है। इसलिए, कार्यकारी निर्णय लेने में यह न्यायिक भागीदारी काफी हद तक अपराध की प्रकृति, इसकी

गंभीरता आदि के बारे में प्रदान किए गए इनपुट तक सीमित है। निस्संदेह, सजा सुनाने के स्तर पर भी, न्यायाधीश को आदर्श रूप से अपराधी से संबंधित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने के बाद विवेक का प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल अपराध; लेकिन जैसा कि कई उदाहरणों में देखा गया है 16 जो जघन्य अपराधों के लिए सजा देने से संबंधित हैं, दुर्भाग्य से, अक्सर वास्तविकता नहीं होती है। हाल के वर्षों में इसे कैसे कम किया जाए, इस पर इस अदालत द्वारा मार्गदर्शन को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस अदालत में विचार करने पर, यह स्वीकार करना व्यावहारिक है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को शामिल करने और समान रूप से ऐसे मानकों तक पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता होगी। वास्तव में, दोषसिद्धि के पहले के मामलों (जैसे कि वर्तमान-2001 में) में न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख की और भी कम संभावना होती है जो सजा के चरण में ऐसे बहु-आयामी कारकों पर विचार करता है; जिसकी कमी से दोषी को रिहाई की मांग (लगभग दो दशक या उससे अधिक की सजा काटने के बाद) करने में बाधा नहीं बननी चाहिए, जिससे उनके लंबे कारावास के परिणामस्वरूप की गई सुधारात्मक यात्रा को मिटा दिया जा सके।

19. इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि सबसे गंभीर अपराध में भी कारावास का उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य सुधारात्मक है, जब अपराधी को कारावास के माध्यम से पर्याप्त वैज्ञानिक रूप से लंबी सजा दी जाती है। यहां तक कि धारा 433ए को बरकरार रखते हुए, मारू राम बनाम भारत संघ में, इस अदालत ने दोषसिद्धि के बाद के आचरण की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि क्या दोषी,

> *"यदि जेल में उसके अच्छे व्यवहार को बेहतर सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी उचित छूट, पारिवारिक संपर्कों और उदार पैरोल द्वारा पोषित, पूर्वानुमेय, समयपूर्व रिहाई द्वारा सुसंस्कृत, द्वारा पुरस्कृत किया जाता, तो निवास का उद्देश्य पूरा हो जाता, यदि कानून-*

धारा 433-ए इस मामले में-कैदी के बाद के आचरण पर विचार करने से अशिष्टता से इनकार करता है और सभी दोषियों, अच्छे, बुरे और अनुचित, को दंड और मनमाने ढंग से कम से कम सजा देने के लिए मजबूर करता है, तो यह सुधार के सिद्ध मानदंडों से अछूता एक गुस्सा है।"

20. इस मामले में ध्यान देने योग्य एक अन्य पहलू यह है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा दूसरे दौर में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (जो पहले दौर में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है) प्रतिकूल थी। इसकी सच्चाई पर संदेह किए बिना, या गुण-दोष पर सवाल उठाए बिना, इस तरह के संदर्भ में एक और चिंता को दूर करना उचित है। प्रत्येक मामले में, उपयुक्त सरकार को अपराध के गुप्त (हमेशा नहीं) पूर्वाग्रहों का संज्ञान लेना चाहिए, जिसका पुलिस के साथ-साथ जांच एजेंसी भी हवाला दे रही हो सकती है-विशेष रूप से वर्तमान जैसे मामले में, जहां मारे गए पीड़ित स्वयं पुलिस कर्मी थे, यानी पुलिस बल के सदस्य। ये पूर्वाग्रह रिपोर्ट को सूचित कर सकते हैं, और इन्हें निर्धारक मूल्य नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करने से उपयुक्त सरकार को तथ्यों से दूर रखा जा सकता है। समय से पहले रिहाई के लिए विचार के लिए प्रासंगिक, और इसके बजाय, लगभग पूरी तरह से उन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो एक प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।

21. अन्य विचारों के अलावा (अपराध की प्रकृति पर, क्या यह बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है, इसकी पुनरावृत्ति की संभावना, आदि), उपयुक्त सरकार को भविष्य में अपराध करने के लिए दोषी की क्षमता पर विचार करते हुए, क्या निरंतर कारावास का कोई सार्थक उद्देश्य बचा है, और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करनी चाहिएः दोषी की आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक संबंध और पुनर्एकीकरण की संभावना, अर्जित छूट की सीमा, और दोषसिद्धि के बाद के आचरण सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं है-क्या दोषी ने हिरासत

में रहते हुए कोई शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, स्वयंसेवी सेवाएँ, नौकरी/काम किया है, जेल आचरण, चाहे वे किसी सामाजिक उद्देश्य या उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे, और एक इंसान के रूप में समग्र विकास। इस प्रकार बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस अदालत के सुविचारित दृष्टिकोण में, यह न्याय के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा यदि उपयुक्त सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने वाले दोषी से बातचीत/साक्षात्कार के बाद एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा समकालीन रूप से तैयार की गई रिपोर्ट का लाभ मिलता। बिहार जेल नियमावली, 2012 एक दोषी को छूट अर्जित करने में सक्षम बनाती है, जो कुल सजा के एक तिहाई तक सीमित है। इसके अलावा, अच्छे आचरण के लिए विशेष छूट नियमों द्वारा दी जाती है। यदि छूट के लाभ से इनकार करने में एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप अंततः समय से पहले रिहाई होती है, को बार-बार अपनाया जाता है, तो लंबी अवधि के लिए कारावास को सीमित करने का पूरा विचार (कभी-कभी एक दोषी के जीवनकाल का एक तिहाई या उससे अधिक और दूसरों में, एक अनिश्चित सजा के परिणामस्वरूप), पराजित हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कैदियों में निराशा और हताशा की भावना पैदा हो सकती है, जो खुद को सुधार मान सकते हैं-लेकिन जेल में उनकी निंदा जारी है।

22. *श्रीहरण* (ऊपर) में बहुमत के दृष्टिकोण और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण ने दोषी के अधिकारों के साथ सामाजिक हितों को *संतुलित* करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था (कि किसी मामले में सजा अत्यधिक कठोर या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए)। अदालत ने स्वीकार किया कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है कि वह समय से पहले रिहाई प्रदान करे, या इनकार करे; हालाँकि, ऐसी शक्ति निर्देशित की जाएगी, और विवेक को उचित नियमों से उपजे कारण से

सूचित किया जाएगा। (ललित और सप्रे जे. जे. के) अल्पसंख्यक दृष्टिकोण ने अदालत को सजा को कठोर बनाने से आगाह किया थाः

> "73. [...] दंड को माफी से परे रखने वाला कोई भी आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432/433 के तहत समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वैधानिक शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। हमारे विचार में अदालतें किसी कैदी को सजा की माफी के लिए विचार किए जाने वाले लाभ से इनकार नहीं कर सकती हैं और न ही करना चाहिए। ऐसा करने से कैदी को अंतिम सांस तक जेल में रहने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जिसमें उम्मीद की एक किरण भी नहीं होगी। यह कठोर वास्तविकता व्यक्ति के सुधार के लिए अनुकूल नहीं होगी और वास्तव में उसे सुरंग के अंत में प्रकाश की झलक के बिना एक काले छेद में धकेल देगी। "
>
> यह चिंता राम चंदर (ऊपर) में तर्क का उपयोग करती है।

23. इस अदालत ने, पहले के अवसर पर, दोषी की सजा के अलग-अलग बिंदुओं पर प्रचलित अलग-अलग माफी नीतियों/नियमों की स्थिति से निपटा था-यानी, जब दोषसिद्धि की तारीख और समय से पहले रिहाई के लिए विचार की तारीख पर नीति अलग-अलग होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दोषसिद्धि की तारीख 20 पर प्रचलित नीति लागू होगी। हालाँकि, *जगदीश* (उपरोक्त) में यह भी माना गया था कि यदि विचार की तारीख को अधिक उदार नीति मौजूद है, तो लाभ प्रदान किया जाना चाहिएः

> *"43. [...] राज्य प्राधिकरण कम से कम दोषी द्वारा समझी गई एक ईमानदार अपेक्षा के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, उसके दोषसिद्धि के समय कि समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर सजा काटने के बाद विचार किया जाएगा, जो उस तारीख को मौजूद अल्प-सजा नीति में निर्धारित है। राज्य को*

किसी दोषी के पक्ष में उदारतापूर्वक माने जाने वाले किसी भी लाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी छूट की शक्ति का प्रयोग करना होगा, जो मामले-दर-मामले पर निर्भर हो सकता है और हमारी राय में, उस उद्देश्य के लिए उसे एक ऐसी नीति से संबंधित होना चाहिए जो तत्काल मामले में प्रतिवादी के पक्ष में थी। यदि समय से पहले रिहाई के लिए "आजीवन कारावास" के मामले पर विचार करने की तारीख को एक उदार नीति प्रचलित है, तो उसे इसका लाभ दिया जाना चाहिए।"

24. मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, दोषसिद्धि की तारीख (24.05.2001) पर, यह 2002 से पहले की नीति 21 है जो लागू थी। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"[...] राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आजीवन कारावास की सजा पाए अभियुक्त को माफी देने और बाद में उसे जेल से रिहा करने के लिए आजीवन कारावास को 20 साल का कारावास माना जाना चाहिए और आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को रिहा करने के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए -

1. *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अधिनियम संख्या 2,1974 की धारा 429 के तहत, आजीवन कारावास पाने वाले कैदी को अनुमानित रिपोर्ट (अस्पष्ट) का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उस मामले में जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, मामले की जांच, जांच और निपटान की अवधि के दौरान जेल में बिताई गई अवधि और दोषसिद्धि की तारीख से पहले की अवधि को 20 साल के कारावास से घटाया जा सकता है।*

2. *दोषी ठहराए जाने पर, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके लिए दंड में से एक मौत है या यदि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में*

परिवर्तित कर दिया गया है, और जहां आजीवन कारावास की ऐसी सजा 1 को या उसके बाद दी गई है, तो ऐसे कैदी को केवल तभी जेल से रिहा किया जाएगा जब-

ए. उन्होंने दोषी ठहराए जाने की तारीख से 14 साल जेल में बिताए हैं।

बी. छूट और कारावास की कुल अवधि 20 वर्ष है।

[....]"

यह इंगित करना उचित है कि पुरानी 2002 से पहले की नीति में, किसी भी अयोग्यता मानदंड का कोई उल्लेख नहीं है, जो 2002 की नीति के नियम 529 (iv) (b) के समान है, जिसे माफी बोर्ड द्वारा 20.04.2023 को याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने में उद्धृत किया गया था।

25. इन तथ्यों और ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के आलोक में, यह उचित होगा कि माफी बोर्ड पुलिस और अन्य प्राधिकारियों की रिपोर्टों, याचिकाकर्ता के जेल के बाद के रिकॉर्ड,/अभिलेख उसकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक जुड़ाव के लिए उसकी क्षमता सहित अर्जित छूट (जो अच्छे आचरण के लिए अर्जित की जाती है) पर सकारात्मक तरीके से विचार करते हुए, माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से पुनर्विचार करे। संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख की जांच करके समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक राय प्रदान करने और लक्ष्मण नस्कर (उपरोक्त) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर पर्याप्त तर्क प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इस नई रिपोर्ट के लाभ के साथ, माफी बोर्ड आवेदन पर पुनर्विचार कर सकता है-पूरी तरह से या पूरी तरह से उस पर भरोसा किए

बिना, लेकिन इसे मूल्यवान (शायद भारी) सलाह के रूप में मान सकता है जो न्यायिक रिकॉर्ड/अभिलेख पर आधारित है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही पर्याप्त कारावास की लंबी अवधि और उसकी उम्र को देखते हुए, माफी बोर्ड को आवेदन पर जल्द से जल्द विचार करने और इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय देने का प्रयास करना चाहिए। इस निर्णय की एक प्रति इस क्षेत्राधिकार की रजिस्ट्री द्वारा बिहार सरकार के गृह सचिव, जो माफी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, के साथ-साथ संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पटना उच्च न्यायालय के निबंधक के माध्यम से चिह्नित की जाएगी।

अलग होने से पहले, यह अदालत याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री रणधीर कुमार ओझा और राज्य की ओर से पेश हुए श्री अजमत हयात अमानुल्लाह द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करना चाहेगी।

26. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः रिट याचिका की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

1 सत्र न्यायालय, माधेपुरा द्वारा सत्र मामला सं. 123/2000 और सत्र मामला सं. 194/2000 में

2 पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 327/2001 (जिसका निपटारा आपराधिक अपील सं. 309/2001 के साथ किया गया था, जिसका नेतृत्व तीन सह-अभियुक्त व्यक्ति कर रहे थे)।

3 अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10.12.2002 का नियम 6 (डी) जो यह निर्धारित करता है कि पूर्व-परिपक्व रिलीज के प्रस्ताव की अस्वीकृति पुनर्विचार के लिए बाधा नहीं होगी।

4 संगीत बनाम हरियाणा राज्य [2012] 13 एस. सी. आर. 85.

5 1978 के अधिनियम 45 द्वारा, धारा. 32 (डब्ल्यू. ई. एफ. 18.12.1978)।

6 देखें गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 440; मारू राम बनाम भारत संघ [1981] 1 एस. सी. आर. 1196; शरत चंद्र राभा बनाम खगेन्द्रनाथ नाथ [1961] 2 एस. सी. आर. 133; केहर सिंह बनाम भारत संघ [1988] सप। 3 एससीआर 1102।

7 [2010] 3 एस. सी. आर. 716 [इसके बाद 'जगदीश' के रूप में संदर्भित]

8 हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह [2000] 1 एस. सी. आर. 698; संगीत बनाम हरियाणा राज्य-एना [2012] 13 एस. सी. आर. 85; भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण [2015] 14 एस. सी. आर. 613; राजन बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग [2019] 6 एस. सी. आर. 1035; राम चंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2022] 4 एस. सी. आर. 1103।

9 राजन और राम चंदर (इबिद) को देखें।

10 [2015] 14 एस. सी. आर. 613 [इसके बाद 'श्रीहरण' के रूप में संदर्भित]। कार्यकारी प्रमुख को मंत्रिपरिषद के कार्य और सलाह का लाभ होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त सरकार न्यायिक मंच की मूल्यवान राय प्राप्त करेगी, जो निलंबन या छूट देने से संबंधित मुद्दे पर निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रकाश डालेगी। ”

11 [2012] 13 एस. सी. आर. 85 [इसके बाद 'संगीत' के रूप में संदर्भित] 495

12 (2000) 2 एस. सी. सी. 595 [पैरा 6] [इसके बाद 'लक्ष्मण नस्कर' के रूप में संदर्भित]। इन कारकों को लक्ष्मण नस्कर बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 626 [पैरा 6] में भी दोहराया गया था।

13 पैरा 143।

14 [2022] 4 एस. सी. आर. 1103 [इसके बाद 'राम चंदर' के रूप में संदर्भित]

15 जसवंत सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 35 499

16 संगीत (ऊपर); स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य [2008] 11 एससीआर 93; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2009] 9 एससीआर 90; छन्नू लाल वर्मा बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य [2018] 14 एससीआर 355; राजन-द्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य [2018] 14 एससीआर 585; और मनोज बनाम महाराष्ट्र राज्य मध्य प्रदेश [2022] 9 एससीआर 452।

17 आइबीआइडी।

18 [1981] 1 एससीआर 1196 503

19 बिहार जेल नियमावली, 2012 के नियम 405 और 413 देखें।

20 हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार, (2021) 9 एस. सी. सी. 292 [पैरा 16] देखें।

21 नहीं। ए/पी. एम.-03/91-550 दिनांकित 21.01.1984।